

विषय –समकालीन भारत एवं शिक्षा

विषय कोड – GEODL - 2

खण्ड – 3

इकाई – 3

रूपरेखा			
1.1			परिचय
1.2			उद्देश्य
1.3			शैक्षिक अवसरों की समानता
	1.3.1		अर्थ
	1.3.2		शैक्षिक अवसरों में असमानता के कारक
	1.3.3		शिक्षा के अवसरों की समानता हेतु प्रयास
1.4			शिक्षा का अधिकार
	1.4.1		ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
	1.4.2		शिक्षा के अधिकार की संवैधानिक यात्रा
	1.4.3		भारतीय संविधान एवं शिक्षा
		1.4.3.1	शिक्षा समवर्ती सूची
		1.4.3.2	संविधान में शिक्षा से संबंधित धाराएं
		1.4.3.3	संस्कृति एवं शिक्षा संबंधि अधिकार
		1.4.3.4	कमजोर वर्गों की शिक्षा
		1.4.3.5	अल्पसंख्यकों के बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा
		1.4.3.6	आर्थिक तथा सामाजिक योजना
		1.4.3.7	यूनेस्को के साथ संपर्क
		1.4.3.8	उच्च शिक्षा

		1.4.3.9	शिक्षा को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखने के पक्ष में तर्क
		1.4.3.10	शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का पक्ष
		1.4.3.11	शिक्षा का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार के होने के पक्ष में तर्क
		1.4.3.12	शिक्षा को राज्य का विषय बनाने के लिए तर्क
	1.4.4		शिक्षा का अधिकार – परिचय
	1.4.5		शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुख्य प्रावधान
	1.4.6		शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 विसंगतियों/वादविवाद
1.5			सारांश
1.6			अपनी प्रगति की जाँच करें
1.7			संदर्भ

1.1 परिचय :-

शिक्षा आर्थिक विकास व परिवर्तन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तत्व है यही कारण है कि शिक्षा के स्वरूप और इसकी संरचना में देश की सामाजिक व्यवस्था व आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। लेकिन हमारे देश में शिक्षा व सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों के बीच सुदृढ़ संबंध ना होने के कारण गंभीर स्थिति पैदा हो गयी है। **बी.डी. शर्मा (1987)** ने “ **शिक्षा और समाज** ” नामक अपने एक लेख में ठीक ही लिखा है।

चूँकि हमारी शिक्षा की जड़ें हमारी परम्परा व संस्कृति में नहीं हैं और हमारी सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, इसलिये शिक्षा सामाजिक स्वास्थ्य, उत्साह तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों में योगदान देने के स्थान पर विसंबंधन का साधन बनती जा रही है। मानव संसाधन विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से अब तक शिक्षा की सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि तो हुई है परन्तु सभी के लिये शिक्षा के अवसरों में समानता नहीं हो पायी है। इसलिये आज अनेक देशों में समता के साथ विकास की योजना निर्माण एक लक्ष्य माना जा रहा है।

1.2 उद्देश्य –

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात।

1. शैक्षिक अवसरों की समानता से परिचित हो सकेंगे।
2. भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता का इतिहास जान सकेंगे।
3. शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु किये गये प्रावधानों के बारे में जान सकेंगे।
4. शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारणों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
5. शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु किये गये प्रयासों के बारे में जान सकेंगे।
6. शिक्षा के अधिकार की संवैधानिक यात्रा से परिचित हो सकेंगे।
7. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों से परिचित हो सकेंगे।
8. शिक्षा के अधिकार – क्रियान्वयन व विसंगतियों का विश्लेषण कर सकेंगे।

1.3 शैक्षिक अवसरों की समानता –

1.3.1 अर्थ

शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है – अवसर की समानता प्रदान करना

शिक्षा के अवसरों की समानता से आशय है कि सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये समान अवसर प्राप्त हो। भारत में शिक्षा के अवसरों की समानता नहीं है। एक धनवान व्यक्ति के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं तो निर्धन व्यक्ति के बच्चे साधारण विद्यालय में भी नहीं जा पाते हैं जिन स्थानों पर प्राथमिक माध्यमिक व उच्च शैक्षिक संस्थाएँ नहीं हैं, वहाँ बच्चों को वैसा शिक्षा का अवसर नहीं मिल

पाता जैसा उन बच्चों को मिलता है जहाँ यह संस्थाएँ होती हैं इस प्रकार शिक्षा के अवसरों की समानता से आशय यह हुआ कि सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने की समान सुविधाएँ, अवसर प्राप्त हो।

इस संदर्भ में **शिक्षा आयोग** ने लिखा है कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है, अवसर की समानता प्रदान करना, जिससे पिछड़े तथा दलित वर्ग व व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपनी स्थिति सुधार सकें। समाज में आम आदमी की हालत सुधारनें व उन्हें शिक्षा देने की व्यवस्था करनी होगी ताकि सभी वर्गों को अवसर की अधिकाधिक समानता प्राप्त हो जाय।

शिक्षा के क्षेत्रों में “**अवसरों की समानता**” की अवधारणा का लम्बा इतिहास है, जबकि शिक्षा में समता की अवधारणा नई है। ब्रॉन्फेनबेनर ने समता का अभिप्राय सामाजिक न्याय अथवा औचित्य बताया है। शिक्षा में “**अवसरों की समानता**” का विचार फ्रांसीसी क्रान्ति के साथ आया और संयुक्त राज्य अमेरिका में अमरीकी स्वतंत्रता युद्ध के बाद इसे बढ़ावा मिला। शिक्षा में अवसरों की समानता की अवधारणा का सूत्रपात समान पहुँच की व्यवस्था से हुआ बाद में “**समान पहुँच**” को शैक्षिक अवसरों की आवश्यक कसौटी माना गया। इसके लिये आवश्यक है कि समाज के लाभवंचित वर्गों के हित में संरक्षात्मक विभेद के उपाय किये जायें। अर्थात् शिक्षा में समानता को अपनाया जाना आवश्यक है। विश्व के प्रमुख देशों में इसे शिक्षा नीति का उद्देश्य भी माना है।

भारत भी वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसी समान सामाजिक व्यवस्था लाने हेतु प्रयासरत हुआ जहाँ समानता व अवसरों की समानता को सरकारी नीति का प्रमुख लक्ष्य माना गया। संविधान में समान सामाजिक व्यवस्था के लिये प्रावधान किये गये।

1. सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया गया।
2. विधि के समक्ष समता (अनु-14) प्रदान की गयी।
3. सार्वजनिक नौकरियों में अवसर की समानता (अनु-16) प्रदान की गयी।
4. अस्पृश्यता की समाप्ति की गयी (अनु-17)
5. धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया (अनु-15)
6. बाध्य मजदूरी तथा शोषण को समाप्त किया गया (अनु-23)

संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया है। ये वे सिद्धांत हैं जिन पर भारत की भावी आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक नीति निर्धारित होगी। इनमें कुछ समता बढ़ाने में सहायक हैं वे निम्न हैं।

1. **अनुच्छेद 41** :- राज्य का कर्तव्य है कि वह श्रमिकों कार्य, निर्वाह योग्य मजदूरी, जीवन स्तर की सामग्री, अवकाश के पूर्ण उपयोग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा।
2. **अनुच्छेद 42** :- राज्य काम करने की न्यायपूर्ण दशाओं का प्रबंध करेगा। राज्य स्त्रियों को प्रसूती अवस्था में सहायता प्रदान करेगा।
3. **अनुच्छेद 45** :- राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष के सभी बालक-बालिकाओं के लिये निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने का प्रयास करेगा।
4. **अनुच्छेद 46** :- राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग मुख्यतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान रखेगा तथा उनकी सभी प्रकार से सामाजिक अन्याय तथा शोषण से रक्षा करेगा।

5. **अनुच्छेद 47 :-** राज्य अपने लोगों के अहार जीवन स्तर को उँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपना प्राथमिक कार्य मानेगा।

उपयुक्त अनुच्छेदों को देखने से स्पष्ट होता है कि संविधान ने शिक्षा का कार्य के अधिकार को मान्यता प्रदान की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनावद्ध तरीके से प्रयास किये गये पिछड़े क्षेत्रों व ऐसे समूह जिन्हे लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, प्रोत्साहन व सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास किया गया।

गतिविधि -1 शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के छात्रों को अलग-अलग समूह में विभाजित करें। छात्रों के समूह को कुछ विद्यालयों का सर्वे करने का निर्देश है। विद्यालय शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने हेतु वास्तविक रूप में क्या क्रियान्वयन कर रहे हैं एवं विश्लेषण करें।


अपनी प्रगति की जांच करें -

प्रश्न - शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं संक्षिप्त में समझायें।

.....
.....
.....

1.3.2 शैक्षिक अवसरों में असमानता के कारक :-

शैक्षिक अवसर समान रूप से न प्राप्त होने के कई कारक है जैसे -



आज **सामाजिक व्यवस्था** का स्वरूप इस प्रकार का है कि गरीबों को इस योग्य नहीं बना सकें, कि शिक्षा उनकी पहुँच में आ सकें। अनेक निजी कालेजों ने प्रति व्यक्ति अधिक शुल्क लेना शुरू कर दिया है। योग्यता की बजाय विद्यार्थियों को शिक्षा खरीद सकने की क्षमता के आधार पर नामांकित किया जा रहा है जिससे निर्धन विद्यार्थी योग्यता के बावजूद भी शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहा है।

हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की **शैक्षिक व्यवस्थायें** हैं। पब्लिक स्कूल जिसमें धनी व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हैं नगर पालिका द्वारा संचालित स्कूल जिसमें अत्याधिक निर्धन बच्चें पढ़ते हैं। सरकार द्वारा संचालित स्कूल व राजकीय सहायता प्राप्त स्कूल जिसमें मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं सभी तरह के विद्यालयों में अलग-अलग सुविधायें शैक्षिक वातावरण विभिन्नताओं का कारण बनता है।







सामाजिक सांस्कृतिक परम्परायें भी असमानता के प्रमुख कारकों में से एक है। जैसे गाँवों में लड़कियों को विद्यालय न जाने देना लड़कों को प्रोत्साहन देना आदि। बहुत से ऐसे माता-पिता हैं जो अपनी लड़कियों को सह शिक्षा में भेजने में संकोच करते हैं, यह सोच भी शिक्षा में असमानता को जन्म देती है।


आजकल शिक्षा शास्त्री यह स्वीकार करते हैं कि हमें **शिक्षा की व्यवस्था** करने के साथ-साथ शैक्षिक दृष्टि से वंचित विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएँ दी जानी चाहिये। शिक्षा की सुविधाओं को समान रूप से उपलब्ध करना एक आवश्यक बिन्दु है।

1.3.3 शिक्षा के अवसरों की समानता हेतु प्रयास

यह सत्य है कि समाज में शिक्षा हेतु पूरी तरह से समता लाना मुश्किल है, परन्तु शैक्षिक विषमताओं को न्यूनतम कर देने के कई कदम उठाये गये हैं।

शिक्षा आयोग ने कई महत्वपूर्ण सूझाव दिये हैं।

(1)		निशुल्क शिक्षा
(2)		अन्य निजी व्यय
(3)		छात्रवृत्तियाँ
(4)		अन्य छात्र सहायताएँ
(5)		विकलांग बच्चों की शिक्षा
(6)		प्रादेशिक असंतुलन को कम करना



- ❖ यदि शिक्षा के अवसरों की समानता व प्रगति हम देखना चाहते हैं तो **शिक्षा निशुल्क** होनी चाहियें सरकारी स्कूलों में प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन उच्चतर माध्यमिक व विश्वविद्यालय शिक्षा में फीसों के संबंध में यह प्रयास किया जाना चाहिये जिससे गरीब व योग्य छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जा सकें।
- ❖ प्राथमिक स्तर पर **पाठ्य सामग्री, लेखन सामग्री, मुफ्त** दी जानी चाहियें। उच्च स्तर पर पुस्तक बैंकों का कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिये। राज्य विभाग व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता की जानी चाहिये जैसा कई राज्यों में प्रयास किया जा रहा है।
- ❖ **छात्रवृत्तियाँ** एक सतत प्रक्रिया है शिक्षा के सभी स्तरों पर इसे सबल बनाना आवश्यक है। राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ, विश्वविद्यालय छात्रवृत्तियाँ, व्यवसायिक छात्रवृत्तियाँ, ऋण छात्रवृत्तियाँ, विदेशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियाँ आदि देने की जिम्मेदारी का बड़ा भाग भारत सरकार को उठाना चाहियें व स्कूल स्तर पर यह दायित्व राज्य सरकारों का होना चाहिये।
- ❖ छात्रों को **परिवहन सुविधा**, दिवस अध्ययन केन्द्र, वासगृह, कमाने व अपनी शिक्षा व्यय का एक भाग अदा करने की सुविधा देने के तरीके विकसित किये जाने चाहियें।
- ❖ **विकलांग बच्चों की शिक्षा** हेतु उपयुक्त कार्यक्रमों को ठीक से विकसित करने के लिये अध्यापकों के प्रशिक्षण, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों, समूहों के समन्वय व संबंधित समस्याओं पर बल देना आवश्यक है।
- ❖ विभिन्न राज्यों में शिक्षा के विकास में बहुत अन्तर हैं जिला स्तर पर यह अन्तर बड़े हो जाते हैं। इन अन्तर को खत्म करना मुश्किल है, इसलिये इसे न्यूनतम किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में शिक्षा के **विकास को समान** किये जाने पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
- ❖ केन्द्र व राज्य दोनों जगह लड़कियों व **स्त्रियों की शिक्षा** पर नजर रखने के लिये एक विशेष तंत्र होना चाहिये। सभी स्तरों पर सभी क्षेत्रों में शिक्षा की ओर ध्यान देना जरूरी ही अध्यापन, नर्सिंग, समाज सेवा आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ स्त्रियाँ उपयोगी भूमिका अदा कर सकती हैं।
- ❖ **अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, आदिम जातियों की शिक्षा** पर ध्यान देना व बल देना आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर सुविधायों की व्यवस्था करना अनिवार्य है। इनके लिये हॉस्टल की व्यवस्था की जानी चाहिये। साथ ही माध्यमिक व विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर विशेष पढ़ाई की व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

गतिविधि -2 शासकीय विद्यालयों का सर्वे करें व इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि इनमें विकलांग बच्चों को शिक्षा हेतु किस प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है एवं विश्लेषण करें।

अपनी प्रगति की जांच करें -

प्रश्न - 1 शैक्षिक अवसरों की असमानता के क्या कारण हैं ? लिखें।

.....
.....

प्रश्न-2. शैक्षिक समानता के लिये सरकार द्वारा कई प्रयास किये जा रहे हैं आपके अनुसार कौन से प्रयास महत्वपूर्ण हैं विश्लेषण करें।

.....
.....

1.4 शिक्षा का अधिकार आवश्यकता एवं प्रयास

1.4.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :- 18 वीं तथा 19 वीं शताब्दी के अन्धे स्थल पर जबकि भारत में अंग्रेज शासक अपनी आवश्यकता के अनुकूल आधुनिक शिक्षा का ढाँचा खड़ा कर रहे थे देश में पुरातन ढंग के प्रारम्भिक स्कूलों का जाल-सा फैला हुआ था जिनका विकास हजारों वर्षों की छाया में भारतीय संस्कृति के बीच हुआ था। वास्तविक अर्थ में ये स्कूल जनतंत्रात्मक थे। अध्यापक वेतन स्वीकार करके वेतन फीस तथा गुरु-दक्षिणा पर ही जीवन बिताते थे। स्कूलों में केवल पढ़ना, लिखना तथा हिसाब-किताब की ही शिक्षा दी जाती थी। चार से छः वर्ष की उम्र के बीच का बालक पढ़ने बैठता था। इन स्कूलों की संख्या इतनी अधिक थी कि प्रत्येक 400 बालकों के लिये एक स्कूल का अनुमान लगाया गया है। पंजाब में तो इन स्कूलों में स्त्रियाँ भी अध्यापन का कार्य करती थीं। परन्तु धीरे-धीरे इन स्कूलों का लोभ गया और इनके स्थानों पर आधुनिक ढाँचा खड़ा होता गया।

1.4.2 शिक्षा के अधिकार की संवैधानिक यात्रा -

- संविधान सभा में इस बात पर चर्चा रही कि शिक्षा को केन्द्रिय सूची में रखा जाय या प्रान्तीय सूची में। प्रथम केन्द्रिय मंत्री मोलाना अब्दुल कलाम आजाद इस बात का विरोध करते थे कि शिक्षा को राज्य के भरोसे छोड़ दिया जाय।
- पंडित जवाहर लाल नेहरू भी इस विचार से सहमती देते थे कि राष्ट्रीय शिक्षा के एकरूप मानक निर्धारित करने के लिये कुछ केन्द्रों का गठन किया जाना आवश्यक है। काफी समय तक यह चर्चा का विषय रही अंतः बहस इस बात पर खत्म हुई कि शिक्षा को प्रान्तीय सूची में रखा जाय ताकि प्रान्तीय भाषा में शिक्षा को सभी तक पहुँचाया जा सकें। साथ ही उच्च शिक्षा की प्राप्ति भी हो सकें।
- विश्व बैंक का रवैया भी विरोध में रहा कि शिक्षा के अधिकार को सार्वजनिक मानव अधिकार बनाना चाहिये व निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिये। तब भारत सरकार ने शिक्षा का संवैधानिक आधार व उद्देश्य तय करने हेतु **शिक्षा आयोग** का गठन किया। इसी समय “ **कॉमन स्कूल एग्रेस** ” की शिफारिश की गयी जिसमें कि सामाजिक न्याय व समरूपता को बढ़ावा मिल सकें।
- 1968 में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** में निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की शिफारिश की।

- 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा शिक्षा के विकास के लिये व्यापक नीति का गठन किया गया साथ ही P.O.A. बनाया गया ताकि सदी के अंत तक विकास का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे।
- **मानव संसाधन विकास मंत्रालय** द्वारा प्राथमिक शिक्षा विभाग की स्थापना की गयी। 2001 में जिला स्तर पर पूरे भारत में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किया गया।
- मोहिनी जैन बनाम कर्नाटका राज्य (एआईआर 1992 एससी 1858) एवं उनीकृष्णन जे.पी. बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य दोनो केसो के द्वारा भारत में शिक्षा के भविष्य को एक आकार मिला। अतः 86 वे संशोधन अधिनियम 2002 में आर.टी.ई. को मान्यता दी गयी व अनुच्छेद 14 व 21 में मौलिक अधिकार के अन्तर्गत मान्यता मिली।
- मोहिनी जैन केस में यह निर्णय लिया गया कि राज्य, शैक्षिक संस्थानों की सुविधा प्रदान करें, ताकि नागरिक आर.टी.ई. का लाभ उठा सकें। राज्य शासकीय या प्रायवेट दोनों संस्थानों की सुविधा प्रदान कर सकता है।

इसके बाद उनीकृष्णन केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। इस केस के परिणाम स्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 में “ निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा ” को शामिल किया गया। इसके अलावा अनु. 41, 45, 46 भी शिक्षा के अधिकार के स्रोत हैं।

1.4.3 भारतीय संविधान एवं शिक्षा :-

1.4.3.1 शिक्षा समवर्ती सूची में :- भारतीय संविधान में शासन संबंधी विषयों को तीन सूचियों में विभक्त किया गया है। सूची 1 में वे सारे विषय आ जाते हैं जिन पर कार्य करने का अधिकार/उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है। इस सूची के अंतर्गत 97 विषयों का उल्लेख किया गया है। इनमें शिक्षासे संबंधित 63 से 66 तक विषय दिए गए हैं। सूची 2 में वे सारे विषय दिए गए हैं जिन पर राज्यों का अधिकार है। इन विषयों की कुल संख्या 66 है सूची 3 समवर्ती है। इनमें उन सभी विषयों का उल्लेख है जिनके संबंध में केन्द्र तथा राज्य सरकारें दोनों कार्य कर सकती हैं। शिक्षा इसी सूची में है।

शिक्षा मुख्य रूप में 1976 से पहले राज्यों के अधिकार में थी। 1976 में यह अनुभव किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस मात्रा में शिक्षा का विकास किया जाना था, वह न हो पाया। अतः शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया ताकि केन्द्र भी इस संदर्भ में आपनी भूमिका जोरदार तरीके से निभा सकें।

शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का अर्थ है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें दोनों इस क्षेत्र में नीतियाँ निर्धारित कर सकती हैं तदनुसार शिक्षा के परिमाणात्मक तथा गुणवत्तात्मक विकास में वांछित कार्य कर सकती हैं। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी नीति के कार्यान्वयन में कोई मतभेद होता है तो केन्द्रीय सरकार का निर्णय सर्वोपरि होगा।

1.4.3.2 संविधान में शिक्षा से संबंधित धाराएँ :-

1. धारा 21ए शिक्षा का अधिकार :- “राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करें, उपबन्ध करेगा।”

नोट :- पहले इस संदर्भ में धारा 45 थी जिसमें 2002 वर्ष में संशोधन किया गया। यह मूल धारा नीचे दी गई है।

1. **प्राथमिक शिक्षा में विकास तथा शिक्षा का मूल अधिकार :-** धारा 45 में लिखा गया था, “बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध—राज्य, इस संविधान के आरंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध का प्रयास करेगा।” सन 2002 में इसमें ऊपर लिखित संशोधन किया गया।

2. **धारा 45 छोटे बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा :-** राज्य प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।

3. **अभिभावकों का कर्तव्य :-** अभिभावक तथा संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह छः वर्ष से चौदह वर्ष के बीच आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। (यह धारा मूल संविधान में नहीं थी, 2002 में जोड़ी गई।)

4. **धारा 28 धार्मिक शिक्षा :-** कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता —

1. राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

2. खंड (1) की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किन्तु किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।

3. राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जानी वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है।

1.4.3.3 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधि अधिकार :-

धारा 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण :- 1. भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

2. राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

6. **धारा 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार :-** धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

1.4.3.4 कमजोर वर्गों की शिक्षा :-

7. **धारा 46 — अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों कह शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि :-** राज्य जनता के कमजोर वर्गों और विशेष तौर से अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक दायित्वों की विशेष रक्षा करेगा तथा उनको सभी प्रकार के शोषण से सामाजिक न्याय की सुरक्षा प्रदान करेगा।

8. धारा 239 – संघ क्षेत्रों का प्रशासन :- यदि संसद द्वारा अथवा कानून द्वारा कोई और प्रबंध न किया गया हो तो प्रत्येक संघ क्षेत्र पर राष्ट्रपति का शासन उस सीमा तक जहाँ तक वह उचित समझे, एक शासक द्वारा जिसे वह नियुक्त करेगा, चलाया जाएगा” स्पष्ट है कि संघ क्षेत्र में शिक्षा केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में है।

9. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जन-जतियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण :- राष्ट्रपति, राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग की नियुक्ति करेगा। शिक्षा से संबंधित कुछ विषय भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं।

1.4.3.5 अल्पसंख्यकों के बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा :-

10. धारा 350 (क) प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ :- प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक राज्य में स्थानीय सत्ता का प्रयास होगा कि वह राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा तथा राष्ट्रपति राज्य को ऐसे आदेश, जो वह आवश्यक समझे, इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए दे सकता है।

अन्य देशों से संपर्क :-

11. संधी सूची (1) की प्रविष्टि 13 :- “अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किए गए और उनमें लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन करना।”

1.4.3.6 आर्थिक तथा सामाजिक योजना :-

12. समवर्ती सूची (3) की प्रविष्टि 20 :- इसमें लिखा है “आर्थिक तथा सामाजिक योजना” चूंकि शिक्षा का आर्थिक तथा सामाजिक योजना से घनिष्ठ संबंध है, इस कारण शिक्षा योजना बनाने में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों का योगदान आवश्यक है।

13. धारा 243 (ए) पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व :- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ बनाना।

1.4.3.7 यूनेस्को के साथ संपर्क :-

14 सातवीं अनुसूची की सूची 1 प्रविष्टि 12 :- इसमें यूनेस्को का उल्लेख है। यूनेस्को द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भारत में इस कार्य के तालमेल के लिए इंडियन नेशनल कमिशन फार कोर्पोरेशन विद यूनेस्को की स्थापना की गई है।

1.4.3.8 उच्च शिक्षा :- जिन विषयों पर केवल केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व है, विषय सातवीं सूची में प्रविष्टि 63 से प्रविष्टि 66 में दिए गए हैं।

प्रविष्टि 63 — इस संविधान के प्रारंभ पर काशी हिन्दु विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएँ, अनुच्छेद 371 ड. के अनुसरण में स्थापित विश्वविद्यालय, संसद द्वारा, विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था।

प्रविष्टि 64 — भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित और संसद् द्वारा, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थाएँ।

प्रविष्टि 65 — संघ के अभिकरण और संस्थाएँ जो —(क) वृत्तिक, व्यवसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के लिए है जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण है, या (ख) विशेष अध्ययन या अनुसंधान की अभिवृद्धि के लिए है, या (ग) अपराध के अन्वेषण या पता चलाने में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता के लिए है।

प्रविष्टि 66 — उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय और अवधारणा।

1.4.3.9 शिक्षा को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखने के पक्ष में तर्क :-

1) **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948 :-** विश्वविद्यालय आयोग ने कहा उच्च शिक्षा में न्यूनतम मान आश्वस्त करने के लिए राज्यों के साथ-साथ केन्द्र भी अहम भूमिका निभाए। आयोग ने इस संबंध में जोर देकर कहा कि राज्यों के बहुसंख्यक प्रतिनिधि भी इसी पक्ष में हैं।

2) **राष्ट्रीय समाकलन कमेटी, 1962 :-** राष्ट्रीय समाकलन कमेटी ने अनुभव किया कि शिक्षा सशक्त राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। अतः इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए जाएँ ताकि केन्द्र तथा राज्य सरकारें इस दिशा में प्रभावी कदम उठा सकें।

3) **संसद के सदस्यों की उच्च शिक्षा समिति :-** पी.एन. सपरू ने उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की संस्तुति की। इस कमेटी का गठन उच्च शिक्षा के बारे में संविधान में दिए गए प्रावधानों की समीक्षा करना था।

4) **एम.सी. छागला :-** श्री छागला, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में 1964 में बल देकर कहा कि केन्द्र को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए विशेष योजनाएँ चलानी चाहिए।

5) **शिक्षा आयोग 1964-66 :-** स्वतंत्र भारत में यह शिक्षा के क्षेत्र में पहला आयोग था, जिसने शिक्षा के सभी पक्षों का सभी स्तरों पर अध्ययन किया। उस समय शिक्षा मुख्य रूप से राज्यों का विषय था। आयोग ने केन्द्रीय सरकार की भागेदारी के संदर्भ में सूची में कई संस्तुतियों दी।

6) **श्री. पी.एन. कृपाल तथा डी.पी.एस. झा :-** श्री कृपाल शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा सचिव थे। श्री झा भी प्रसिद्ध शिक्षाविद् थे। उन्होंने संपूर्ण शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का समर्थन किया।

7) **शिक्षा नीति पर भारत सरकार का प्रस्ताव, 1968 :-** संभवतः स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीति का यह पहला प्रस्ताव था जो शिक्षा आयोग, 1964-66 की संस्तुतियों के आधार पर निर्मित किया गया। शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव में कहा गया “भारत सरकार मानती है कि शिक्षा का पुनर्निर्माण सरल कार्य नहीं है। न केवल साधनों की कमी है, वरन् समस्याएँ अधिक जटिल हैं। यह देखते हुए कि शिक्षा विज्ञान एवं अनुसंधान का योगदान भौतिक तथा जन साधनों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों का बीड़ा उठाने के अतिरिक्त राज्य सरकारों को राष्ट्रीय महत्व के उन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता देगी जहां राज्य और केन्द्र के समन्वित प्रयत्नों की आवश्यकता है।”

8) स्वर्ण सिंह समिति, 1976 :- इस समिति ने कहा कि शिक्षा का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः इसे समवर्ती सूची में रख लिया जाए ताकि राज्य सरकारें तथा केन्द्र दोनों इस दिशा में मिलकर कार्य करें।

1.4.3.10 शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने के पक्ष

मोटे तौर पर शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं :-

1. यह अनुभव किया गया कि 1950 तथा 1975 के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर प्राथमिक स्तर पर वांछित विकास नहीं हुआ है। इसका मूल कारण बताया गया कि केन्द्रीय सरकार की भागेदारी का अभाव था।
2. देश में स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा के विकास संबंधी कई आयोगों तथा समितियों ने अपनी संस्तुतियों में केन्द्र की शिक्षा में भागेदारी पर बल दिया।
3. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की अनेक संस्तुतियों पर राज्यों ने ठोस कदम नहीं उठाए।
4. यह तर्क दिया गया कि जब तक शिक्षा योजना बनाने तथा क्रियान्वयन का विशेष उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर नहीं होगा तब तक आर्थिक तथा सामाजिक योजनाओं को प्रभावी ढंगसे चलाया नहीं जा सकेगा।
5. देश की शिक्षा नीति का स्वरूप राष्ट्रीय होना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की सक्रिय भागेदारी हो।
6. धारा 4 में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का संकल्प तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक शिक्षा समवर्ती सूची में नहीं होगी।
7. शिक्षा एक सामाजिक सेवा भी है। इसलिए केन्द्र को भी अपने ऊपर इसका उत्तरदायित्व होना चाहिए।
8. केन्द्र, राज्य सरकारों को प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर सकता है।
9. राष्ट्रीय एकता तथा समाकलन के मूल्यों को साकार करने के लिए केन्द्र का भी विशेष दायित्व है।
10. केन्द्र के पास वित्त के साधन तथा अधिकार विस्तृत हैं। केन्द्र राज्यों को वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार आवंटन करता है। अतः शिक्षा पर होने वाले व्यय पर उसका निर्देशन अवश्य है।

1.4.3.11 शिक्षा का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार के होने के पक्ष में तर्क:-

इस संदर्भ में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं -

1. केन्द्र के पास आय के विस्तृत साधन हैं।
2. एक शक्तिशाली केन्द्र ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी कदम उठा सकता है।
3. एक शक्तिशाली केन्द्र देश में भावात्मक संकलन का वातावरण स्थापित कर सकता है।
4. शिक्षा की राष्ट्रीय नीति बनाने तथा कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण शिक्षा का दायित्व केन्द्रीय स्तर पर हो।

1.4.3.12 शिक्षा को राज्य का विषय बनाने के लिए तर्क:-

शिक्षा को राज्य का विषय होना चाहिए, इस विचार के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा रहे हैं :-

1. प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर शिक्षा का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए।
2. राज्यों की पहलशक्ति के लिए जरूरी है कि राज्य शिक्षा का उत्तरदायित्व निभाएँ।
3. भारत एक विशाल देश है। राज्यों की शिक्षा संबंधी अपनी-अपनी आवश्यकताएँ होती हैं। अतः उन्हें इसमें पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
4. केन्द्र का शिक्षा में हस्तक्षेप 'लालफीताशाही' को बढ़ावा देता है।
5. भारत के विभिन्न राज्यों में कई संस्कृतियों के मानने वाले लोग कहते हैं। उनके संरक्षण के लिए आवश्यक है कि राज्य शिक्षा में संपूर्ण उत्तरदायित्व संभालें।

1.4.4 शिक्षा का अधिकार-परिचय

संविधान अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में अनुच्छेद 21-क में मौलिक अधिकार के रूप में छः से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया।

निशुल्क व अनिवार्य (बाल) शिक्षा अधिनियम 2009 में बच्चों के अधिकार का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल जो अनिवार्य मानदण्डों व मानकों को पूरा करता है में संतोष जनक व समान गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। अनुच्छेद 21-क एवं आर.टी.ई. अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसके शीर्षक में निशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित हैं **निशुल्क शिक्षा** का अर्थ है कि किसी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने व उसे पूरा करने से किसी किस्म की फीस, प्रभार या व्यय अदा का उत्तर दायित्व नहीं होगा।

अनिवार्य शिक्षा का अर्थ है 6-14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान है। केन्द्र व राज्य सरकारें आर.टी.ई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21-क में बच्चों के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने हेतु बाध्य हैं।

1.4.5 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुख्य प्रावधान :- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (The right of children to free and compulsory education act 2009) 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया **अधिनियम के प्रावधानों** के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन, शत-प्रतिशत उपस्थिति तथा शत-प्रतिशत बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों की है।

इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नांकित हैं :-

- (क) 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्य पूर्णता सुनिश्चित करना।
- (ख) अनामांकित एवं शाला से बाहर बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- (ग) किसी भी बच्चे को कक्षा 8 वीं तक फेल नहीं करने का प्रतिबंध।

- (घ) समस्त बच्चों के लिए उनके निर्धारित पड़ोस में शिक्षा की सुविधा 3 वर्ष में उपलब्ध कराने की राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों की बाध्यता।
- (ङ) नियम मापदण्ड के अनुरूप प्रत्येक शाला में शिक्षक छात्र अनुपात अनुरूप शिक्षकों की व्यवस्था और अधोसंरचना की व्यवस्था 3 वर्ष में सुनिश्चित करना।
- (च) अच्छी गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- (छ) शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में लगाना प्रतिबंधित (दशकीय जनगणना, चुनाव एवं आपदा राहत को छोड़कर)
- (ज) शाला विकास योजना निर्माण, प्रबंधन, मानीटरिंग का कार्य स्थानीय निकाय के सहयोग से शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा किया जाना।
- (झ) निजी स्कूल में भी केपिटेशन फीस एवं प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रतिबंधित।
- (अ) गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए अपने पड़ोस के वंचित तथा कमजोर वर्ग के न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदाय करना अनिवार्य होगा। राज्य द्वारा किया जा रहा प्रति छात्र व्यय अथवा गैर अनुदान प्राप्त शाला की वास्तविक फीस जो कम हो. के आधार पर राज्य द्वारा फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- (ब) बिना मान्यता के किसी भी स्कूल का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
- (स) प्रत्येक शाला हेतु न्यूनतम कार्य दिवस एवं शिक्षण के घंटे निर्धारित रहेंगे।
- (द) इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु शाला स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही अथवा शिक्षक से अपेक्षित कार्यवाही निम्नानुसार है—
1. **धारा 3** के अनुसार सभी बच्चों को अनिवार्यतः प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। अतः शासकीय शालाओं में अब किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अथवा राशि नहीं ली जायेगी, जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में बाधक हो।
 2. **धारा 4** के अनुसार शाला से बाहर चिन्हित बच्चों को सर्वप्रथम उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में दर्ज कराया जायेगा तदुपरांत उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था, आवासीय ब्रिज कोर्स एवं गैर आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से की जायेगी अर्थात् कोई भी बच्चा शाला से बाहर नहीं रहेगा।
 3. **धारा 5** के अनुसार बच्चों द्वारा शाला छोड़ने पर उन्हें स्थानांतरण प्रमाण पत्र तुरंत प्रदान करने का दायित्व शाला के प्रधानाध्यापक का होगा। ऐसी शाला जो प्राथमिक स्तर तक की है उनमें कक्षा 5 वीं पास करने वाले बच्चों को अंक सूची के साथ ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा। अन्य परिस्थितियों में छात्र द्वारा आवेदन करने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 7 दिवस की समय सीमा में प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। धारा 5 (2) के अनुसार समय सीमा में

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रदान न करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के अभाव में किसी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जायेगा।
5. धारा 14(2) के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी किसी भी बच्चे को शाला में प्रवेश से इंकार नहीं किया जायेगा।
6. धारा 16 के अनुसार किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा तथा न ही शाला से बाहर किया जाएगा जब तक कि बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता।
7. धारा 17 के अनुसार शाला में बच्चे को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
8. धारा 24 के अनुसार शाला के शिक्षकों के लिए भी अधिनियम में अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। इसकी पूर्ति न करने पर शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

1.4.6 शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 विसंगतियों/वाद – विवाद:-

1. केन्द्रीय और राज्य सरकारों धन की सांझेदारी में खींचतान की स्थिति में है। यह सत्य है कि शिक्षा परवर्ती सूची में है ऐसा होते हुए राज्य सरकारें अपना भाग देने में असमर्थता प्रकट कर रही है।
2. चिन्ता का विशेष विषय अध्यापकों की नियुक्ति का है। आज के दिन विद्यालयों में प्रशिक्षित, अयोग्य, प्रतिबद्धता विहीन, ठेके के अध्यापकों की बहुतायत है। उनको निकालना उनकी सामूहिक शक्ति के कारण कठिन हो रहा है। संघर्ष की स्थिति के लिये भी तैयार रहने की आवश्यकता है। अधिनियम की धाराओं के अनुसार ऊपर कथित श्रेणी के अध्यापकों के स्थान पर 6 मास के अंदर लाखों प्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा में लेना आवश्यक होगा। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिये आगे के पांच वर्षों में प्रशिक्षण कार्य पूर्ण किया जाना है।
3. इस महत्वपूर्ण विषय पर केन्द्र, राज्य सरकारें, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, श्रम मन्त्रालय, महिला और बाल कल्याण आयोग, सामाजिक न्याय, जल स्वच्छता, अधिकरण अनुसूचित जाति कल्याण, पंचायत राज्य, स्थानीय निकाय आदि जब तक शिक्षा के कार्य को राष्ट्रीय दायित्व का कार्य नहीं स्वीकारते और सृजनात्मक सहयोग नहीं देते तो कठिनाईयों उपस्थित हो सकती है।
4. अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बालकों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। आयु बालक के विकास की जो नींव का कार्य करती है वह 0-6 और 14-18, 18-18 तक निश्चित है। इस अवधि से बालकों को अधिनियम से बाहर रखने से यह तो ठीक है कि व्यय कम रहेगा परंतु बालक के सर्वाधिक विकास में यह आयु का प्रावधान खण्डित स्वरूप खड़ा करेगा।
5. अधिनियम में शिक्षा के गुणात्मक विकास के त्रिकोण की बात की गई है। निकट के विद्यालय में प्रवेश तीन वर्ष में यह कार्य पूर्ण किया जाना है। अध्यापकों के लिये न्यूनतम योग्यता तीस विद्यार्थियों पर

एक अध्यापक, संख्या के अनुपात में कमरे लड़के और लड़कियों के लिये पृथक शौचालय आदि की सुविधा संसाधन, खेल का मैदान, पुस्तकालय, पीने का पानी आदि विद्यालय के लिये भौतिक संसाधनों को उपलब्ध कराना है।

6. पिछड़े तथा आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित बालकों को सभी मान्यता तथा अनुदान प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश अनिवार्य रूप से दिया जायेगा।
8. परिपत्र में यह बताया गया है कि ऐसे विद्यालयों की फीस की परिपूर्तिशासन द्वारा की जायेगी। परिपूर्ति के लिये जो आंकलन किया गया है। वह व्यवहारिक नहीं। यह विसंगतियों से भरा है। ऐसा कैसे संभव होगा कि छूट स्कीम मापदण्ड एवं उच्च शुल्क होने वाले एवं तदनुसार सर्वसुविधा देने वाले विद्यालय पर लागू किया जाएगा। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है।
9. अधिनियम में कमजोर आर्थिक स्थिति और वंचित वर्ग को स्पष्टतः परिभाषित नहीं किया गया है इससे विद्यालयों को अनेक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
10. अधिनियम की धारा 5 में यह वर्णित है कि स्कूल छोड़ने पर विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्धारित समय में विद्यालय को देना होगा, ऐसा नहीं होने पर दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। वही दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि यदि कोई विद्यार्थी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पूर्व कक्षा की अंकसूची या जन्म प्रमाण पत्र नहीं देता है तब भी उसको इच्छित कक्षा में प्रवेश देना अनिवार्य होगा। यह दोनों बातें परस्पर विरोधाभासी हैं और शिक्षा संस्थानों में गंभीर समस्या का कारण बनेगी।
11. अधिनियम की धारा 14 (2) के अंतर्गत स्कूल में प्रवेश के लिये जन्म प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं मानी गई है, इस आधार पर बिना जन्म प्रमाण पत्र के भी बच्चे को प्रवेश माता-पिता की इच्छानुसार चाही गई कक्षा में करना होगा जो कि विद्यालय के लिये समस्या खड़ी करेगा।
12. अधिनियम की धारा 16 के अनुसार किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जायेगा तथा नहीं शाला से बाहर किया जायेगा जब तक बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। यह विद्यालयों के लिये सर्वथा अव्यवहारिक एवं व्यवस्था के लिये चुनौती पूर्ण होगा क्योंकि कमजोरतम एवं ऐसे बच्चों जिनकी रुचि पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है वे पढ़ने वाले बच्चों के लिये तथा विद्यालय के लिये समस्या का सबब नहीं बनेंगे?
13. वर्तमान में भिन्न-भिन्न संस्थाओं का प्रबंधन में स्थान है जैसे विद्यालय प्रबंध समिति, ग्राम सभा, शिक्षा विभाग अब विद्यालय प्रबंध समिति में तीन चौथाई अभिभावक रहेंगे तथा अध्यापक प्रतिनिधियों को भी स्थान मिलेगा। शिक्षा विभाग का भी हस्तक्षेप रहेगा।
14. साझेदारी, समझदारी तथा जवाबदारी के बिना प्रबंध में सुचारुता आना संभन नहीं है।
15. कहा गया है कि 6000 माडल स्कूल खोले जायेंगे इसमें 35 हजार संस्थाओं के उद्योगपतियों तथा निजी संस्थानों की रहेगी। शिक्षा में निजीकरण तथा व्यापारीकरण को बढ़ावा मिलेगा। यह सभी

विद्यालय से छटी से आगे की पढ़ाई करायेंगे। यदि यह अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय होंगे तो मातृभाषा में पढ़कर आये विद्यार्थियों का उन विद्यार्थियों के साथ स्तर कैसे मिलेगा जो संभव दिखाई नहीं देता।

16. अधिनियम में कहा गया है यथा संभव प्राथमिकशाला की शिक्षा मातृभाषा में होगी। यथा संभव शब्द का उल्लेख कर अंग्रेजी के लिये द्वार खोल दिए गये हैं। सभी शिक्षाविदों में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही है। सभी संतुलियों के विरोध में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बनाया जा रहा है।
17. अधिनियम के अंतराल बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने का दायित्व माता-पिता का है। आर्थिक दृष्टि से अपेक्षित माता-पिता विद्यालय में बच्चों को आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के कारण से नहीं भेजेगा। बच्चे उनकी रोजी रोटी में सहायता का साधन है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 40 प्रतिशत बालकों का वजन मानक से कम है 42 प्रतिशत कुपोषण का शिकार है। माता-पिता की प्राथमिकता बच्चों के पालन पोषण की है। इस समस्या की ओर अधिनियम का ध्यान नहीं गया है।
18. सभी विद्यार्थी विद्यालय पहुंचे उसके लिये चिन्हित करनी की आवश्यकता है। यह दायित्व किसका है?
19. घरों में चल रहे विद्यालय जिन विद्यालयों को मान्यता नहीं है। एकल विद्यालय, संस्कार केन्द्र इनके संबंध में अधिनियम मौन इन में शिक्षा ग्रहण करने वाला बालकों का और अध्यापकों का भविष्य अंधकार में है।
20. शिक्षा में निजीकरण तथा व्यापीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इन तीन प्रमुख आपत्तियों के अतिरिक्त 2009 के बिल में अनेक आपत्तिजनक प्रावधानों की आलोचना की जा रही है।
21. संविधान की धारा 350 ए जिसमें बालकों मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार दिया गया है। उसे नये कानून में यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
22. विद्यालयों में 10 प्रतिशत पद रिक्त रखने की अनुमति है। छोटे विद्यालयों में तो अधिकतर खाली ही खाली दिखाई देंगे। एकल विद्यालयों तो बंद ही हो जायेंगे।

1.5 सारांश :-

- शिक्षा के अवसरों की समानता से आशय है कि सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये समान अवसर प्राप्त हो। भारत में शिक्षा के अवसरों की समानता नहीं है।
- इसके लिये आवश्यक है कि समाज के लाभवंचित वर्गों के हित में संरक्षात्मक विभेद के उपाय किये जाये। अर्थात् शिक्षा में समानता को अपनाया जाना आवश्यक है। विश्व के प्रमुख देशों में इसे शिक्षा नीति का उद्देश्य भी माना है।
- भारत भी वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसी समान सामाजिक व्यवस्था लाने हेतु प्रयासरत हुआ जहाँ समानता व अवसरों की समानता को सरकारी नीति का प्रमुख लक्ष्य माना गया। संविधान में समान सामाजिक व्यवस्था के लिये प्रावधान किये गये।

- संविधान ने शिक्षा का कार्य के अधिकार को मान्यता प्रदान की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनावद्ध तरीके से प्रयास किये गये पिछड़े क्षेत्रों व ऐसे समूह जिन्हें लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, प्रोत्साहन व सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास किया गया।
- शैक्षिक अवसर समान रूप से न प्राप्त होने के कई कारक हैं जैसे निर्धनता, प्रशासनिक कारक, सामाजिक संस्कृति कारक, शैक्षिक गुणवत्ता आदि।
- यह सत्य है कि समाज में शिक्षा हेतु पूरी तरह से समता लाना मुश्किल है, परन्तु शैक्षिक विषमताओं को न्यूनतम कर देने के कई कदम उठाये गये हैं जैसे निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ, विकलांग बच्चों की शिक्षा, प्रोदेशिक असंतुलन को कम करना, स्त्रियों की शिक्षा, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग की शिक्षा, आदिम जातियों की शिक्षा आदि।
- **निःशुल्क व अनिवार्य (बाल) शिक्षा अधिनियम 2009** में बच्चों के अधिकार का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल जो अनिवार्य मानदण्डों व मानकों को पूरा करता है में संतोष जनक व समान गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। अनुच्छेद 21-क एवं आर.टी.ई. अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ।
- **अधिनियम के प्रावधानों** के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन, शत-प्रतिशत उपस्थिति तथा शत-प्रतिशत बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों की है।
- केन्द्रीय और राज्य सरकारों धन की सांझेदारी में खींचतान की स्थिति में है। यह सत्य है कि शिक्षा परवर्ती सूची में है ऐसा होते हुए राज्य सरकारें अपना भाग देने में असमर्थता प्रकट कर रही है।

1.6 अपनी प्रगति की जांच करें :-

प्रश्न- 1 शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं ?

प्रश्न-2 शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारक कौन से हैं। व्याख्या करें ?

प्रश्न- 3 शिक्षा के समान अवसर हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं। विश्लेषण करें ?

प्रश्न 4 शिक्षा का अधिकार क्या है। व्याख्या करें ?

प्रश्न-5 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुख्य प्रावधानों को समझाईयें ?

1.7 संदर्भ

- ❖ जीत, योगेन्द्र भाई “ शिक्षा में नवाचार और ” नवीन प्रवृत्तियाँ विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
- ❖ भारद्वाज रामदेव “ राजनय एवं मानव अधिकार ” मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अमादमी, भोपाल (2011)
- ❖ जीत, योगेन्द्र “ शिक्षा में नवाचार और नवीन प्रवृत्तियाँ ” विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
- ❖ पचौरी, गिरीश “ शिक्षा के सामाजिक आधार ” आर लाल बुक डिपो, मेरठ (2006)।
- ❖ शास्त्री, के.एन. “ उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा ” अर्जुन पब्लिशिंग हाउस (2008)।
- ❖ पाण्डेय, रामशकल, मिश्र, करुणाशंकर “ भारतीय शिक्षा ” की समसामयिक समस्याएँ, विनोद पुस्तक मंदिर।
- ❖ मित्तल, एम.एल. “ शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार ” इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ (2005)।
- ❖ सक्सेना, एन.आर. स्वरूप चतुर्वेदी शिक्षा “ उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक ” आर.लाल बुक डिपो, मेरठ (2006)
- ❖ त्यागी, गुरुसरन दास “ भारत में शिक्षा का विकास ” विनोद पुस्तक मंदिर आगरा (2006)
- ❖ पाण्डेय, के.पी. “ उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक ” आर.लाल बुक डिपो मेरठ (2004)
- ❖ अग्रवाल, जे.सी. “ उदीयमान भारतीय समाज में अध्यापक ” अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा (2009)
- ❖ मदान, पूनम “ भारत में शिक्षा स्थिति समस्याएँ एवं मुद्दे ” अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा (2015)
- ❖ बलवन्त, राणा “ उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक ” विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा (2014)
- ❖ शर्मा, डी.एल. “ उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक ” आर.लाल बुक डिपो, मेरठ (2007)